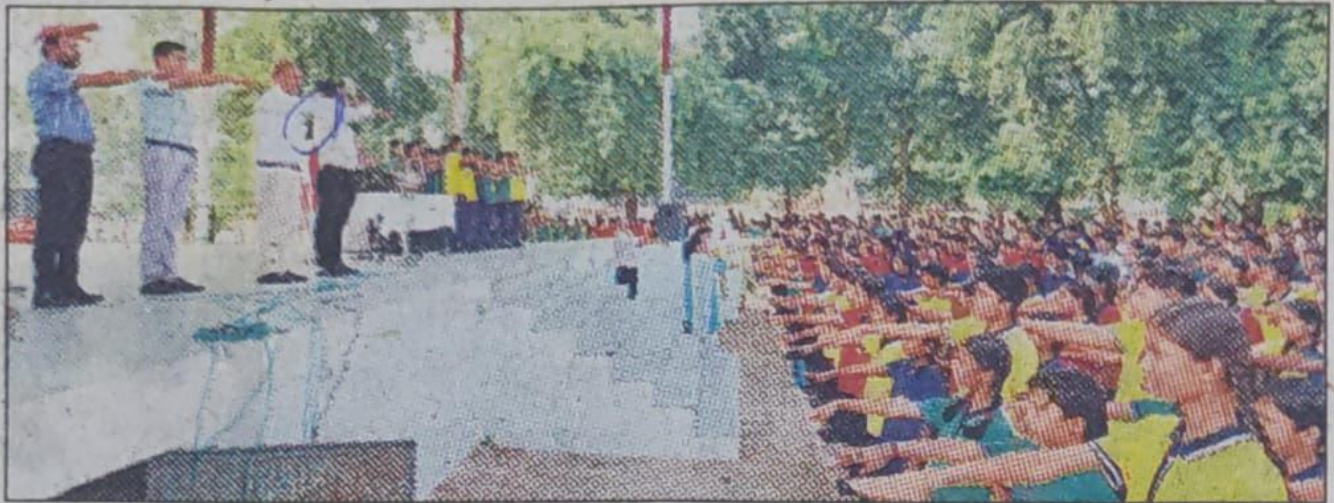


नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो एक साल के लिए पंजीकरण निलंबित



सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ लेते शिक्षक व बच्चे। स्रोत: प्रशासन

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावकों को तीन वर्ष की सजा हो सकती है। वाहन चलाने से पूर्व हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। नाबालिग को वाहन चलाते पकड़े जाने पर एक वर्ष के लिए पंजीकरण निलंबित होगा। यह बात एआरटीओ प्रशासन ने केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को बताई।

बुधवार को केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने कहा कि 18 वर्ष से पूर्व वाहन चलाने

की अनुमति नहीं है। अवयस्क के वाहन चलाने पर अभिभावक/वाहन स्वामी को दोषी मानकर दंडित किया जाएगा। इसमें तीन वर्ष तक कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना और वाहन का पंजीकरण एक वर्ष तक निलंबित किया जा सकता है। किशोर को ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सड़क पर पैदल यात्री, वाहन चालक और साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाते समय बिल्कुल न करने की चेतावनी भी दी गई।

शहर



केंद्रीय विद्यालय में हो रहा विशेष व्याख्यान सत्र ।

हेलमेट, सीटबेल्ट लगाएं, हादसों से बचें

फरुखाबाद । पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों पर विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया । इसमें एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और यातायात नियमों के प्रति सतर्क किया । उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते समय पैदल यात्री, वाहन चालक, साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए । हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है ।